ATTENTION!

E-Cigarette Producers, Manufacturers, Importers, Exporters, Distributors, Retailers, Advertisers and others!

The Government of India has enacted "the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019" on 5th December 2019, prohibiting production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of electronic cigarettes and the like devices in the interest of public health.

"electronic cigarette" means an electronic device that heats a substance, with or without nicotine and flavours, to create an aerosol for inhalation and includes all forms of Electronic Nicotine Delivery Systems, Heat Not Burn Products, e-Hookah and the like devices, by whatever name called and whatever shape, size or form it may have.

"substance" includes any natural or artificial substance or other matter, whether it is in a solid state or in liquid form or in the form of gas or vapour; *(Section 3(d))*

It is hereby informed to all the

Producers, Manufacturers, Importers, Exporters, Distributors, Advertisers, Transporters including Couriers, Social Media Websites, e-Commerce Websites, Online shopping websites, Shopkeepers/retailers etc. not to directly or indirectly: –

i. produce or manufacture or import or export or transport or sell or distribute or store electronic cigarettes, whether as a complete product or any part thereof; and

ii. advertise electronic cigarettes or take part in any advertisement (in print, electronic media, internet or website or social media etc.) that directly or indirectly promotes the use of electronic cigarettes.

Note: offense of production, manufacture, import, export, transport, sale (including online sale), distribution, storage and advertisement of electronic cigarette is cognizable and punishable as per the statutory provisions of the Act.

cbc 17102/11/0001/2324

G20 भारत 2023 INDIA | 75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Choose LIFE Not Tobacco. | NATIONAL HEALTH MISSION

ध्यान दें!

ई-सिगरेट उत्पादक, निर्माता, आयातक, निर्यातक, वितरक, खुदरा विक्रेता, विज्ञापनदाता और अन्य!

भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इस प्रकार के उपकरणों के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन पर रोक लगाने हेतु, 5 दिसम्बर, 2019 को ''इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019'' को लागू कर दिया है।

''इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट'' का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कश लेने के लिए, एक एरोसोल बनाने हेतु, निकोटीन और फ्लेवर के साथ या उसके बिना किसी पदार्थ को गर्म करता है और इसके प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन प्रदायगी प्रणाली, उत्पाद जलाए बिना हीट, ई-हुक्का और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं, जिसे किसी भी नाम से पुकारा और किसी भी आकार, आकृति या रूप का हो सकता है।

''पदार्थ'' में कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम अथवा अन्य कोई पदार्थ शामिल है, चाहे वह ठोस अवस्था या तरल रूप में या गैस अथवा वाष्प के रूप में हो; *(धारा 3(डी))*

एतद्द्वारा सभी को सूचित किया जाता है

उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कूरियर सहित ट्रांसपोर्टर्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न हों:-

i. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, चाहे सम्पूर्ण उत्पाद या उसके किसी भाग के रूप में हो, के उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या ढुलाई या बिक्री या वितरण या भण्डारण में; और

ii. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन करना या किसी विज्ञापन में भाग लेना (छपाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया इत्यादि में) जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करता हो।

टिप्पणी: *इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, ढुलाई, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री शामिल), वितरण, भण्डारण और विज्ञापन करना इस अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और दंडनीय अपराध है।*

cbc 17102/11/0001/2324

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार